28.4.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 12.6.25 को पेश हो।
12.6.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1.7.25 को पेश की जावे
1.7.25	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. कैम्प मे पधारे हैं। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9.7.25 को पेश हो।
9.7.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी की बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुनः मानिंद बहस सुनी गई, प्रकरण मे वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा मण्डावरी प.ह. मण्डावरी की आराजी सं. 1023, 1024, 1379, 1385, 1405, 1411, 1728 रकबा 1.3990 कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व एवं विपक्षी सं. 1 से 3 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी यात राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अंकित है। प्रा.पत्र वर्णित आराजी मे से आराजी सं. 1024 रकबा 0.0400 है. कृषि भूमि मे से 1/2 हक हिस्सा भूमि हप प्रार्थीगण के पिता स्व. बोतलाल पिता सेवा जी धाकड़ ने तत्कालिन खातेदार परिवार से दिनांक 1-2-1980 को जरिये पंजिकृत बेचाननामा विक्रेतागण से 1/2 हक हिस्सा भूमि क्रय की गया उक्त दिनांक से क्रय शुदा भूमि पर स्वतन्त्र रूप से प्रार्थीगण काश्त कर रहे है। उक्त भूमि का पटवारी द्वारा जरिये नामान्तरण से अमल दरामद नही किया

जो कि हल
कजोड़ मि
वर्णित
नामा
कजो
का

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	जो कि हल्का पटवारी की त्रुटिवश हुआ है। विक्रेतागण कजोड़ पिता बरदा जी के स्वर्गवास हो जाने से उक्त वर्णित आराजी स. 1024 रकबा 0.0400 हे. का नामान्तरण विधिक वारिसान भंवर लाल दत्तक पुत्र कजोड़ धाकड़ के नाम राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद कर दिया जिसका अनुचित फायदा उठाकर विपक्षी स. 3 भंवर लाल ने चित्तौड़गढ़ स. भू. वि. बैंक लि. से ऋण प्राप्त कर लिया। यदि विपक्षी गण द्वारा हम प्रार्थी गण के पिता की क्रय शुदा भूमि का जबरन कब्जा कर किसी अजनबी व्यक्ति को रहन बेचान दान बक्शीश कर दिया तो हम प्रार्थीगण क्रय शुदा भूमि से वंचित हो जायेगें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। प्रकरण मे वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई व प्रकरण का अवलोकन किया प्रकरण मे वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नकल पंजीकृत बेचाननामा का अवलोकन किया। प्रकरण का अवलोकन करने पर मूलवाद के अन्तिम निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु दोनो पक्षो को पाबन्द किया जाना उचित समझते है। अतः मूलवाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थीगण व विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा मण्डावरी प.ह. मण्डावरी की आराजी स. 1024 रकबा 0.0400 हे. भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश आज दिनांक 9-7-25 को लिखाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	